इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

(राजभाषा प्रकोष्ठ)

फा.सं. II-102/ति.बै./रा.प्र./1279

दिनांकः 07 मार्च, 2012

अनुस्मारक (Reminder)

दिनांक 30 नवंबर, 2011 को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसारः

1. "सभी विद्यापीठ/प्रभाग/एकक अपने कार्यालय में कार्यरत स्टाफ सदस्यों को हिंदी भाषा (हिंदीतर भाषी) एवं टंकण/आशुलिपि में प्रशिक्षित करने के लिए उनके नाम राजभाषा प्रकोष्ठ में भेजेंगे।"
   कृपया हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि न जानने वाले स्टाफ सदस्यों के नाम प्रशिक्षण हेतु भिजवाएँ।

   कार्रवाई - सभी विद्यापीठ/प्रभाग/एकक

2. "दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले फॉर्मों को द्विभाषी रूप में ओडीएल पर डाला जाए।"
   इस संबंध में कंप्यूटर प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जानी थी। अतः अध्यक्ष, कंप्यूटर प्रभाग की गई आवश्यक कार्रवाई से अवगत कराएँ।

3. "पुस्तकों की सूची में हिंदी पुस्तकों के नाम हिंदी में ही लिखे जाएँ।"
   कुलसचिव, विद्यार्थी पंजीकरण/एमपीडीडीः कृपया की कार्रवाई से अवगत कराएँ।

4. "अनुवाद एकक एवं राजभाषा प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण किया जाए तथा अनुवाद एवं टाइपिंग के लिए केन्द्रीय पूल बनाया जाए।"
   उप-कुलसचिव (स्थापना) : कृपया की गई आवश्यक कार्रवाई से अवगत कराएँ।

5. "विश्वविद्यालय की पाठ्य-सामग्री का डिजिटाइजेशन किया जाए। सभी विद्यापीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदकर अध्ययन केंद्रों पर भी भेजी जाएँ।"
   यह मद विद्यापीठों/पुस्तकालय/ई.ज्ञानकोश से संबंधित है। अतः सभी संबंधित निदेशकों/प्रभागाध्यक्षों से इस मद पर आवश्यक कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से राजभाषा प्रकोष्ठ के अवगत कराने का अनुरोध है।

कृपया उपर्युक्त निर्णयों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करवाएँ तथा की गई कार्रवाई की सूचना कुलसचिव(प्रशा)/राजभाषा प्रकोष्ठ को भिजवाएँ जिससे इसे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

71/CD
12/3/12
13/3/12

(डॉ. ज्योति उपाध्याय)
उप-कुलसचिव (राजभाषा)